## उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 {उ०प्र० अधिनियम संख्या 8, 1971}

THE UTTAR PRADESH CONTROL OF GOONDAS ACT, 1970
[Uttar Pradesh Act No. 8 of 1971]

### उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970<sup>1</sup> {उ०प्र० अधिनियम संख्या 8, 1971}

{उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 15 दिसम्बर, 1970 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 24 दिसम्बर, 1970 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया ।

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 13 जनवरी, 1971 ई0 को स्वीकृति प्रदान की और उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 18 जनवरी, 1971 ई0 को प्रकाशित हुआ।}

सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से गुंडों पर नियंत्रण करने और उनको दबाने के निमित्त विशेष व्यवस्था करने के लिये

#### अधिनियम

भारतीय गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है--

1-- (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 कहलायेगा ।

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रसार

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

2-- जब तक कि प्रसंग द्वारा अन्यथ अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में--

परिभाषायें

- (क) "जिला मजिस्ट्रेट" के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा तदर्थ अधिकृत कोई अपर जिला मजिस्ट्रेट भी है ;
  - <sup>2</sup>{(ख) "गुण्डा" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है —
- (1) जो स्वयं या किसी गिरोह के सदस्य या सरगना के रूप में अभ्यासतः भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153 या धारा 153—ख 294 या उक्त संहिता के अध्याय 15, अध्याय 16, अध्याय 17 या अध्याय 22 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध करता है, या करने का प्रयास करता है, या करने के लिए दुष्प्रेरित करता है: या
  - (2) जो स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो; या
  - (3) जो संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 या आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25, धारा 27 या धारा 29 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए कम से कम तीन बार सिद्धदोष ठहराया गया हो: या
  - (4) जिसकी सामान्य ख्याति दुःसाहसिक और जनसमुदाय के लिए खतरनाक व्यक्ति हैः या
  - (5) जो अभ्यासतः स्त्रियों या लड़िकयों के प्रति अशिष्ट उक्ति कहता रहा हो या उनसे छेड़खानी करता रहा होः या
    - (6) जो दलाल (टाउट) है:

स्पष्टीकरण :- "दलाल" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो --

उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिये दिनांक 15 मई, 1970 का सरकारी असाधारण गजट देखिये।

<sup>2.</sup> उ०प्र० अधिनियम संख्या 1 वर्ष 1985 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970}

धारा 3

- (क) किसी व्यक्ति को अपने लिये या किसी अन्य व्यक्ति के लिये किसी प्रकार का परितोषण किसी लोक सेवक या सरकार या संसद या राज्य विधान मण्डल के सदस्य को भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा केन्द्रीय या राज्य सरकार, संसद या राज्य विधान मण्डल, किसी स्थानीय प्राधिकारी, निगम, सरकारी कम्पनी या लोक सेवक से कुछ करने या कुछ करने से प्रविरत रहने या किसी व्यक्ति के प्रति अनुग्रह करने को उत्पेरित करने के लिए किसी व्यक्ति का उपकार या अपकार करने का प्रयत्न करने को उत्प्रेरित करने के लिए प्रतिग्रहीत करता है या अभिप्राप्त करता है या प्रतिग्रहीत करने को सहमत होता है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है: या
- (ख) विधि व्यवसाय में हितबद्ध किसी विधि व्यवसायी द्वारा प्रस्तावित किसी पारिश्रमिक के प्रतिफल स्वरूप उस व्यवसाय में किसी विधि व्यवसायी का नियोजन प्राप्त करता है या उसको प्राप्त करने के लिए किसी विधि व्यवसायी से या विधि व्यवसाय हितबद्ध किसी व्यक्ति से, उनमें से किसी के द्वारा प्रस्तावित किसी पारिश्रमिक के प्रतिफल स्वरूप प्रस्ताव करता है: या
- (ग) खण्ड (क) या (ख) में उल्लेखित प्रयोजनों के लिए सिविल दाण्डिक या राजस्व न्यायालयों के अहातों में राजस्व या अन्य कार्यालयों, आवासिक कालोनी या निवास स्थानों या उपर्युक्त स्थानों या रेल या बस स्टेशनों, उतरने के स्थानों ठहरने के स्थानों या अन्य लोक समागम स्थलों के आस—पास आता—जाता है; या

#### (7) गृह अपग्राही है।

स्पष्टीकरण — "गृह अपग्राही" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी भवन का, जिसके अन्तर्गत भवन से सम्बद्ध भूमि, बाग, गैराज या बाह्यगृह भी है, अप्राधिकृत कब्जा लेता है या लेने का प्रयत्न करता है या उसके लेने में सहायता देता है या उसके लिए दुष्प्रेरित करता है या भवन में विधिपूर्वक प्रवेश करने के उपरान्त उस पर अविधिपूर्वक कब्जा बनाये रखता है।

3--- (1) यदि जिला मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत हो कि ---

गुण्डों का बहिष्कासन आदि

- (क) कोई व्यक्ति गुण्डा है ; और
- (ख) (1) जिले या उसके किसी भाग में उसकी गतिविधियां या कार्य व्यक्तियों की जान या सम्पत्तियों के लिये संत्रास, संकट या अपहानि करते है या करने के लिये आयोजित है; या
- (2) ऐसा विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह जिले या उसके किसी भाग में, धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (1) से;
- (3) तक में निर्दिष्ट किसी अपराध को करने में या किसी ऐसे अपराध के दृष्प्रेरण में लगा है या लगने वाला है; और }²
- (ग) साक्षीगण अपनी जान या सम्पत्ति के क्षेत्र में अपनी आशंका के कारण उसके विरुद्ध साक्ष्य देने को तैयार नहीं है ;

तो मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को लिखित नोटिस द्वारा खण्ड (क), (ख) और (ग) के संबंध में उसके संबंध में उसके विरूद्ध सारवान आरोपों की सामान्य प्रकृति की सूचना देगा और उसको उनके विरूद्ध स्पष्टीकरण देने का समुचित अवसर देगा।

<sup>1.</sup> उ०प्र० अधिनियम संख्या 1 वर्ष 1985 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

<sup>2.</sup> उपर्युक्त की धारा 3 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970}

धारा 4-6}

- (2) उस व्यक्ति को, जिसके विरूद्ध इस धारा के अधीन आदेश देने का प्रस्ताव हो, अपने पसंद के वकील से परामर्श करने और उसके द्वारा प्रतिरक्षित किये जाने का अधिकार होगा तथा, जब तक जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से उनकी राय में उनकी तदर्थ प्रार्थना परेशान या विलम्ब करने के प्रयोजन से न की गई हो, उसे, यदि वह ऐसा चाहे स्वयं परीक्षित होने का और ऐसे अन्य किन्हीं साक्षियों को भी जिन्हें वह अपने स्पष्टीकरण के समर्थन में पेश करना चाहें, परीक्षित करने का समुचित अवसर दिया जायेगा ।
- (3) तदुपरान्त जिला मजिस्ट्रेट अपना यह समाधान करने पर कि उपधारा (1) के खण्ड (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित शर्तें विद्यमान है, लिखित आदेश द्वारा —
  - {(क) उसे यह निदेश दे सकता है कि वह ऐसे मार्ग से यदि कोई हो, और ऐसे समय के भीतर जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, अपनी स्थानीय अधिकार्यता की सीमा के भीतर के क्षेत्र से या ऐसे क्षेत्र और ऐसे किसी जिले या जिलों या उनके किसी भाग से, जो उसे आसन्न हो स्वयं बाहर चला जाए और उक्त क्षेत्र या उक्त क्षेत्र और ऐसे आसन्न जिला या जिलों या उसके या उनके किसी भाग में, यथास्थिति जहां से उसे स्वंय बाहर जाने का निदेश दिया गया था, तब तक प्रवेश न करे जब तक कि छः माह से अनिधक ऐसी अविध, जो उक्त आदेश में निर्दिष्ट की जाए, समाप्त न हो जाए;}
  - (ख) (1) ऐसे व्यक्ति से, ऐसी रीति से, ऐसे समय पर और ऐसे प्राधिकारी या व्यक्ति को, जैसा आदेश में निर्दिष्ट किया जाय, अपनी गतिविधि की सूचना देने या स्वयं उपस्थित होने अथवा दोनों कार्यों की तब तक अपेक्षा कर सकता है;
    - (2) उसके द्वारा किसी ऐसी वस्तु को, जैसा आदेश में निर्दिष्ट किया जाय, कब्जे में रखने या उसको प्रयोग करने से तब तक के लिये प्रतिसिद्ध या निर्बन्धित करने का :
    - (3) उसके द्वारा अन्यथा ऐसी रीति से, जैसा आदेश में निर्दिष्ट किया जाय, आचरण करने का तब तक के लिये आदेश कर सकता है—

जब तक कि छः माह से अनधिक ऐसी अवधि, जो आदेश में निर्दिष्ट की जाये, समाप्त न हो जाये।

4— जिला मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके संबंध में धारा 3 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के अधीन आदेश दिया गया हो, अस्थायी अवधि के लिये उस क्षेत्र में, जहां उसे हटाने का निदेश दिया गया था, ऐसी शर्तों पर, जिन्हें जिला मजिस्ट्रेट निर्दिष्ट करें, प्रवेश करने या वापस आने की अनुज्ञा दे सकता है और किसी भी समय भी ऐसी किसी अनुज्ञा का निरसन कर सकता है ।

अस्थायी अवधि के लिए वापस लौटने की अनुज्ञा

5— जिला मजिस्ट्रेट सम्बद्ध व्यक्ति को तदर्थ अभ्यावेदन करने का अवसर, जब तक कि ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेगें, उनका यह समाधान न हो जाय कि ऐसा करना व्यवहारिक होगा, देने के पश्चात् धारा 3 के अधीन दिये गये आदेश में निर्दिष्ट अवधि को, सामान्य जनता के हित में समय—समय पर बढ़ा सकता है, किन्तु इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि किसी भी दशा में कुल मिलाकर दो वर्ष से अधिक न होगी ।

आदेश की अवधि में बढोत्तरी

6— (1) धारा 3, 4, 5 के अधीन दिये गये किसी आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर आयुक्त के पास अपील कर सकता है ।

अपील

(उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970)

**धारा 7-8**}

- (2) अपीलार्थी या उसके वकील को किसी ऐसे अभिलेख का, जो धारा 3 के अधीन हुई जांच, यदि कोई हुई हो, उसे प्रकट न किया गया हो, निरीक्षण करने या उसके संबंध में सूचना देने का अधिकार न होगा।
- (3) आयुक्त आदेश की, परिष्कार सिहत अथवा रहित, पुष्टि कर सकता है या उसे रद्द कर सकता है, और अपील का निस्तारण होने तक आदेश के प्रवर्तन को, ऐसी शर्तों पर, यदि कोई हो, जिन्हें वह उचित समझे, स्थगित कर सकता है ।

#### 7-- (1) जिला मजिस्ट्रेट या आयुक्त--

कतिपय प्रयोजनों के लिये मुचलके

- (क) किसी ऐसे व्यक्ति, जिसके विरूद्व धारा 3 के अधीन आदेश देने का प्रस्ताव हो, या आदेश दिया गया हो, किन्तु ऐसे आदेश का प्रवर्तन धारा 6 के अधीन स्थिगत कर दिया गया हो, की उपस्थित सुनिश्चित करने; या
- (ख) धारा 3, धारा 4, धारा 5 या धारा 6 के अधीन किसी व्यक्ति के संबंध में दिये गये आदेश में निर्दिष्ट किये निदेश, अपेक्षा, प्रतिषेध, निर्बधन या शर्त का यथोचित अनुपालन सुनिश्चित करने; या

के प्रयोजनार्थ किसी ऐसे व्यक्ति से, प्रतिभुओं सहित या रहित, बंधपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा कर सकता है, और {दण्ड प्रकिया संहिता, 1873} के उपबंध ऐसे बंधपत्र के संबंध में आवश्यक परिवर्तनों के साथ उसी प्रकार लागू होगें, जिस प्रकार वह उक्त संहिता के अधीन निष्पादित या निष्पादित किये जाने के लिये अपेक्षित बंधपत्र के संबंध में लागू होते है ।

- (2) विशेषतः और उपरोक्त उपबंधो की व्यापक्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना--
- (क) जिला मजिस्ट्रेट धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को नोटिस जारी करते समय उसको गिरफ्तारी के लिये वारंट, जिसमें उक्त संहिता की धारा 71} के अनुसार पृष्ठांकित निदेश दिया गया हो, जारी कर सकता है और संहिता की धारायें 70 से 85 और 87 से 89 तक} के उपबंध जहां तक हो सके, ऐसे वारंट के संबंध में उसी प्रकार लागू होगें मानो जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय हो;
- (ख) यदि कोई व्यक्ति जिससे किसी निदेश, अपेक्षा, प्रतिषेध, निर्बंधन या शर्त के अनुपालन के लिये बंधपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा की गयी हो, ऐसा करने में चूक करता है, तो उसे उस कालावधि के लिये जिसके लिए उक्त निदेश, अपेक्षा, प्रतिषेध, निर्वंधन या शर्त की प्रवृत्ति हो या उस कालावधि के भीतर जब तक कि वह, प्रतिभुओं सिहत या रिहत, यथास्थिति आदेश के अनुसार बंधपत्र निष्पादित नहीं करता, कारागार को सुपुर्द किया जायेगा अथवा यदि वह पहले से ही कारागार में है तो, वह कारागार में निरूद्ध रखा जायेगा व उक्त संहिता की धारायें 119 से 121 तक, 123 और 124} के उपबंध आवश्यक परिवर्तनों के साथ उस पर लागू होगें मानो जिला मजिस्ट्रेट या आयुक्त न्यायालय हो;
- (ग) उक्त संहिता की धारायें 445 से 447 तक} दस धारा के अधीन निष्पादित सभी बंधपत्रों के संबंध में आवश्यक परिवर्तनों के साथ उस पर लागू होगें मानो जिला मजिस्ट्रेट या आयुक्त न्यायालय हो।

8— जिला मजिस्ट्रेट या आयुक्त, किसी समय अपना यह समाधान करने के प्रयोजनार्थ कि धारा 3 या धारा के अधीन आदेश दिये जाने के लिये आवश्यक शर्ते विद्यमान है या नहीं, किसी ऐसे साक्ष्य पर विचार कर सकता है, जिससे वह प्रमाणक मूल्य का समझे, तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के उपबंध लागू नहीं होगें ।

साक्ष्य की प्रकृति

- 1. उ०प्र० अधिनियम संख्या 1 वर्ष 1985 की धारा 4 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
- उपर्युक्त की धारा 4 (ख)(एक) द्वारा प्रतिस्थापित।
- उपर्युक्त की धारा 4 (ख)(दो) द्वारा प्रतिस्थापित।
- उपर्युक्त की धारा 4 (ख)(तीन) द्वारा प्रतिस्थापित।

(उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970)

धारा 9-14}

9— जिला मजिस्ट्रेट या आयुक्त किसी समय धारा 3 के अधीन दिये गये आदेश का, चाहे उस आदेश की धारा 6 के अधीन पर पुष्टि की गयी हो या नहीं, निरसन कर सकता है।

आदेश का निरसन

10— जो व्यक्ति धारा 3, 4, 5 या 6 के अधीन दिये आदेशों का उल्लंघन करें, वह कठिन कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकता है, परन्तु यह छः माह से कम नहीं होगा, दिण्डित होगा और जुर्माने का भी भागी होगा ।

धारा 3 से 6 के अधीन आदेशों का उल्लंघन करने के लिये दण्ड

11—— (1) धारा 3, धारा 4, धारा 5 या धारा 6 के अधीन किसी व्यक्ति के विरूद्ध आदेश दिये जाने के पश्चात् ऐसा व्यक्ति—— बहिष्कारित गुण्डे द्वारा आदेश का उल्लंघन करते हुये पुनः

(क) आदेश द्वारा दिये गये निदेश के अनुसार जिले या उसके भाग में अपने का हटाने में चूक करता है; या प्रवेश आदि पर उसका बलपूर्व हटाया जाना ।

(ख) उक्त आदेश के प्रवर्तन की अवधि में, उस क्षेत्र में, जहां से उसे हटने का आदेश दिया गया था, पुनः प्रवेश करता है ;

तो जिला मजिस्ट्रेट उसे गिरफ्तार करा सकता है और पुलिस की अभिरक्षा में उक्त आदेश में, निर्दिष्ट क्षेत्र के बाहर किसी ऐसे स्थान के लिये जैसा वह निदेश दे हटवा सकता है।

- (2) कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके प्रति उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई कार्य या चूक करने के लिये युक्तियुक्त संदेह हो, बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है और इस प्रकार गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को तुरन्त निकटतम मजिस्ट्रेट के पास अग्रसारित करेगा जो उसे जिला मजिस्ट्रेट के पास अग्रसारित करायेगा, जो तदुपरान्त उस व्यक्ति को उक्त आदेश में निर्दिष्ट क्षेत्र के बाहर ऐसे स्थान के लिये, जैसा वह निदेश दें, पुलिस अभिरक्षा में हटवा सकता है।
- (3) इस धारा के उपबंध धारा 10 के उपबंधों के अतिरिक्त हैं और उनके प्रभाव को कम नहीं करते ।

12-- कोई मजिस्ट्रेट धारा 10 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का, सिवाय--

अपराध का संज्ञान

- (क) ऐसे तथ्यों की जिनमें ऐसा अपराध गठित होता हो, किसी पुलिस आफिसर की गयी लिखित रिपोर्ट पर ; या
- (ख) पुलिस अफसर से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त इत्तिला पर या अपने इस ज्ञान या संदेह पर कि ऐसा अपराध किया गया है ;

संज्ञान नहीं करेगा ।

13— इस अधिनियम द्वारा उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करके दिये गये किसी आदेश पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी। आदेशों के संबंध में अपवाद

14— (1) किसी व्यक्ति के विरूद्ध किसी ऐसे कार्य के लिये जो इस अधिनियम या तदधीन दिये गये किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो, या किये जाने के लिये अभिप्रेत हो, कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

अधिनियम के अधीन किये गये कार्य के लिये संरक्षण

(2) राज्य सरकार के विरूद्ध किसी ऐसी बात से, जो इस अधिनियम या तद्धीन दिये गये किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावना से की गयी हो या किये जाने के लिये अभिप्रेत हो, हुई या संभावित क्षति के लिये कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी । [उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970]

**धारा 15-16**}

15— (1) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

नियम बनाने का अधिकार

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक अनुक्रमिक सत्रों में से कम से कम चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेगें, और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाये, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुये, प्रभावी होगें, जो विधान मंडल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन {सम्बद्ध नियमों के} उनके अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।

16-- उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अध्यादेश, 1970 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

निरसन उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं0 15, 1970

#### THE UTTAR PRADESH CONTROL OF GOONDAS ACT, 1970<sup>1</sup>

[Uttar Pradesh Act No. 8 of 1971]

[Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative council on December 15, 1970 and by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on December 24, 1970

Received the assent of the President on January 13, 1971, under Article 201, of the constitution of India and was published in the Uttar Pradesh Gazette Extraordinary, dated January 18, 1971]

#### AN

#### **ACT**

to make special provisions for the control and suppression of Goondas with a view to the Maintenance of Public Order.

It is hereby enacted in the Twenty-first year of the Republic of India as follows:

Short title

1.

- (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Control of Goondas Act, 1970.
  - (2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

Definitions

extent

- 2. In this Act, unless the context otherwise requires--
  - (a) "District Magistrate" includes an Additional District Magistrate specially empowered by the State Government in that behalf;
    - <sup>2</sup>[(b) "Goonda" means a person who-----
    - (1) either my himself or as a member or leader of a gang, habitually commits or attempts to commit, or abets the commission offence punishable under section 153 or section 153-B or section 294 of the Indian panel code or chapter XVI, chapter XVI, chapter XVII or chapter XXII of the said code; or
    - (2) has been converted for an offence punishable under the supersession of Immoral Traffic in Women and Girls Act, 1956; or
    - (3) has been converted not less than thrice for an offence punishable under the U.P. excise Act, 1910 or the Public Gambling Act, 1867 or section 25, section 27, or section 29 of the Arms Act, 1959; or
    - (4) is generally reputed to be a person, who is dispirit and dangerous to the community; or
    - (5) has been habitually passing in descent remarks of teasing women or girls; or
      - (6) is a tout;

Explanation— Tout means a person who-

<sup>1.</sup> For statement of Objects and reasons, see Uttar Pradesh Gazette extraordinary, dated May 15, 1970.

<sup>2.</sup> Substituted by section 2 of U.P. Act No. 1 of 1985.

- (a) Accepts or obtains, or agrees to accept or attempts to obtain from any person for himself or for any other person, any gratification whatever as a motive or reward for inducing, by corrupt or illegal means any public servant or member of government, Parliament or of state legislature, to do or forbear to do any thing or to show favor or disfavor to any person or to render or attempt to render any service or disservice to any person, with the Central or State Government, Parliament or State Legislature, any Local Athuority, Corporation, Government Company or Public Servant; or
- (b) Procures, in consideration of any remuneration moving from any legal practitioner interested in any legal business, or proposes to any legal practitioner or to do any person interested in legal business to procure, in consideration of any remuneration moving from either of them, the employment of legal practitioner in such business; or
- (c) For the proposes mentioned in explanation (a) or (b), frequent the presents of civil, Criminal or Revenue courts, revenue or other officers, residential colonies or residential or vicinity of the aforesaid or railway or bus station, handing stages lodging places or other places of public resorts; or

#### (7) is a house grabber.

Explanation – 'House- grabber' means a person who takes or attempts to take or aids or abates in taking unauthorized passions or having lawfully interred unlawfully remains in passions, of a building including land, garden, garage or out-house apartment to a building.]<sup>1</sup>

Externment, etc. of Goondas

3.

Act no. 104, 1956 U.P. act no. 6, 1910 (1) Where it appears to the District magistrate----

- (a) that any person is a Goonda; and
- (b) (i) that his movements or acts in the district or any part there of are causing, or are calculated to cause alarm, danger or harm to persons or property; or
- [(ii) that there are reasonable grounds for believing that he is engaged, or about to engage, in the district or any part, thereof, in the commission of any offence referred to in sub-clauses (i) to (iii) of clause (b) of section 2 or in the abetment of any such offence; and]<sup>2</sup>
- (c) that witnesses are not willing to come forward to give evidence against him by reason of apprehension on their part as regards the safety of their person or property;

the District Magistrate shall by notice in writing inform him of the general nature of the material allegations against him in respect of clauses (a), (b) and (c) and give him reasonable opportunity of tendering an explanation regarding them.

<sup>1.</sup> Substituted by section 2 of U.P. Act No. 1 of 1985.

<sup>2.</sup> Subs. by section 3 (a) ibid.

- (2) The person against whom an order under this section is proposed to be made shall have the right to consult and be defended by a counsel of his choice and shall be given a reasonable opportunity of examining himself, if he so desires, and also of examining any other witnesses that he may wish to produce in support of his explanation, unless for reasons to be recorded in writing the District Magistrate is of opinion that the request is made for the purpose of vexation or delay.
- (3) Thereupon the District Magistrate, on being satisfied that the conditions specified in clauses (a), (b) and (c) of sub-section (1) exist, may be order in writing-
  - [(a) direct him to remove himself outside the area within the limits of his local jurisdiction or such area and any district or districts or any part their of, contagious their to, by such rout, if any, and within such time as may be specified in the order and to desist from interring the said area of the area and such contiguous district or districts or part their of, as the case may be from which he was directed to remove himself until the expiry of such period note exceeding six months as may be specified in the said order;]<sup>1</sup>
  - (b) (i) require such person to notify his movement, or to report himself, or to do both, in such manner, at such time and to such authority or peril On as may b. specified in the order;
  - (ii) prohibit or restrict possession or use by him of any such article as may be specified in the order;
  - (iii) direct him otherwise to conduct himself in such manner as may be specified in the order,

until the expiry of such period, not exceeding six months as may be specified in the order.

## Permission to return temporarily

4. The District Magistrate may, by an order, permit any person in respect of whom an order hall been made under clause (a) of sub-section (3) of section 3 to enter or return, for a temporary period, into or to the area from which he was directed to remove himself, subject to such conditions as the District Magistrate may specify and may at any time rescind any such permission.

## Extension of period of order

5. The District Magistrate may, after giving, except where for reasons to be recorded in writing he is satisfied that it is impracticable so to do, to the person concerned an opportunity of making a re- presentation in that behalf, extend from time to time in the interest of the general public the period specified in the order made under section 3, but the period so extended shall in no case exceed two years in the aggregate.

#### Appeal

6. (1) Any person aggrieved by an order made under section 3, section 4 or section 5 may appeal to the Commissioner within fifteen days from the date of such order.

- (2) The appellant or his counsel shall not be entitled to inspect or to be informed of any record which wag not disclosed to him at the inquiry, if any, held under section 3.
- (3) The Commissioner may either confirm the order, with or with out modification, or set it aside, and may, pending disposal of the appeal, stay the operation of the order subject to such terms, if any, as he thinks fit.

Recognizance for certain purposes

- 7. (1) The District Magistrate or the Commissioner may for the purpose of----
  - (a) securing the attendance of any person against whom an order is proposed to be made under section 3, or has been made but its operation has been stayed under section 6; or
  - (b) securing the due observance of any direction, requirement, prohibition, restriction or condition specified in an order made in respect of any person under section 3, section 4, section 5 or section 6,-

require such person to enter into a bond, with or without sureties, and the provision of the [Code of Criminal Procedure, 1873,]<sup>1</sup> shall mutatis mutandis apply in relation to such bond as they apply in relation to bonds executed or required to be executed under the said Code.

- (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provisions-
  - (a) the District Magistrate while issuing notice to any person under sub-section (1) of section 3 may issue a warrant for his arrest with endorsement thereon of a direction in terms of the provisions of [section 71]<sup>2</sup> of the said Code, and the provisions of [sections 70 to 85 and 87 to 89]<sup>2</sup> of the said Code shall, so far as may be, apply in relation to such warrant as if the District Magistrate were a Court;
  - (b) if any person who is required to execute a bond for the observance of any direction, requirement, prohibition, restriction or condition fails to do so, he shall be committed to prison or, if he is already in prison, be detained in prison until the period for which the direction, requirement, prohibition, restriction or condition is to operate or until within such period he executes the bond with or without sureties, as the case may be, in terms of the order, and the provisions of [sections 119 to 121, 123 and 124]<sup>3</sup> of the said Code shall *mutatis mutandis* apply as if the District Magistrate or the Commissioner were a court;
  - (c) [sections 445 to 447]<sup>4</sup> of the said Code shall mutatis mutandis apply in relation to all bonds executed under this section as if the District Magistrate or the Commissioner were a Court.

Nature of evidence

8. The District Magistrate or the Commissioner may for the purpose of satisfying himself as to whether the conditions necessary for the making or confirmation of an order under section 3 or section 5 exist or not, take into consideration any evidence which he considers to have probative value, and the provisions of the Indian Evidence Act, 1872, shall not apply.

- 1. Substituted by section 4 (a) of U.P. Act No. 1 of 1985.
- 2. Subs. by section 4 (b)(i) ibid.
- 3. Subs. by section 4 (b)(ii) ibid.
- 4. Subs. by section 4(b)(iii) ibid.

[The Uttar Pradesh Control of Goondas Act, 1970]

[Section 9-14]

Rescission of order

9. The District Magistrate or the Commissioner may at any time rescind an order made under section 3, whether or not such order was confirmed on appeal under section 6.

Punishment for contravention of orders under sections 3 to 6 10. Whoever contravenes any order made under section 3, section 4, section 5 or section 6 shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which may extend to three years but shall not be less than six months, and shall also be liable to fine.

Forcible removal of externed Goonda reentering, etc. in contravention of order

- 11. (1) where, after an order is made against a person under section 3, section 4, section 5 or section 6 such person-
  - (a) has failed to remove himself from the district or part as directed by the order; or
  - (b) has re-entered the area, from which he was ordered to remove himself during the period of operation of that order;

the District Magistrate may cause him to be arrested and removed in police custody to such place outside the area specified in the said order as he may direct.

- (2) Any police officer may arrest without warrant any person reasonably suspected of an act or omission specified in sub-section (1), and shall forthwith forward the person so arrested to the nearest Magistrate who shall cause him to be forwarded to the District Magistrate, who may thereupon cause the person to be removed in police custody to such place outside the area specified in the said order as he may direct.
- (3) The provisions of this section arc in addition to and not in derogation of the provisions of section 10.

### Cognizance of offence

12. No Magistrate shall take cognizance of an offence punishable under section 10, except-

- (a) upon a report in writing of the facts constituting such offence made by a police officer; or
- (b) upon information received from any person other than a police officer, or upon his own knowledge or suspicion, that such offence has been committed.

## Savings as to orders

13. No order made in exercise of any power conferred by or under this Act shall be called in question in any court.

# Protection of action taken under the Act

- 14. (1) No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or of any order made thereunder.
  - (2) No suit or other legal proceeding shall lie against the State Government for any damage caused or likely to be caused by anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or of any order made thereunder.

[The Uttar Pradesh Control of Goondas Act, 1970]

[Section 15-16]

Power to make rules

- 15. (1) The State Government may by notification in the Gazette make rules for carrying out the purposes of this Act.
  - (2) All rules made under-this Act shall, as soon as may after they are made, be laid before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of not less than fourteen days extending in its one session or more than one successive sessions and shall, unless some later date is appointed, take effect from the date of their publication in the Gazette subject to such modifications or annulments as the two Houses of the Legislature may during the said period agree to make, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

Repeal U.P. Ordinance no. 15, 1970 16. The U. P. Control of Goondas Ordinance, 1970 is hereby repealed.